LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND,GOMTINAGAR ,LUCKNOW

PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-LUCKNOW

PRINT DATE :- 22/04/2017

APPLICATION NO: 52766 FILE NO : 49/EE/M.CELL/2017

WARD: SCHEME : GOMTI NAGAR

PERMIT NO: 41393

SITE OF COMMERCIAL

SECTOR : VIBHUTI KHAND PROPERTY NO A-1

NAME: MUDIT VERMA

Address: 28, PARK ROAD, LUCKNOW

Sanction vide order dated **16/03/2017** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity: 15/03/2022 or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction If Required:

24.4.17

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

प्रतिबन्ध :–

1. स्वीकृत मानचित्र परमिट को भूमि को स्वामित्वाधिकार नहीं समझा जायेगा तथा सम्पत्ति के क्रय–विक्रय हेतु अपना स्वामित्व स्वतः एवं प्रमाणित किया जायेगा।
2. निर्माण अवधि में स्थल पर निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी समस्त अंकित किया हुआ निर्धारित प्रारूप का एक बोर्ड लगाना होगा।
3. पार्किंग हेतु आरक्षित भूमि पर सदा अवरोध रहित रखी जायेगी। पार्किंग स्थल का अन्यथा उपयोग किये जाने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
4. भवन निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा, तदोपरान्त ही भवन के स्कूल संचालन की अनुमति होगी।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग/सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था शासनादेश के अनुसार करना होगा।
6. स्वीकृति के विरूद्ध भवन के उपयोग किये जाने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
7. भवन निर्माण उपरान्त सेवाओं यथा सीवर, विद्युत, वर्षाजल, निकास आदि मुख्य सेवाओं का संयोजन का उत्तरदायित्व पक्ष का होगा।
8. फायर विभाग से प्राप्त अनापत्ति आख्या अंकित प्रतिबन्ध/शर्तें मान्य होंगी।
9. बेसमेन्ट का निर्माण किसी अर्ह/दक्ष अभियन्ता के पर्यवेक्षण में करना होगा।
10. अशक्तों हेतु रैम्प का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
11. खनन विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
12. स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं को मानकों के अनुसार विकसित करना तथा उनकी स्थानीय निकायों की सेवाओं से संयोजित करने का उत्तरदायित्व भू–स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
13. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना होगा।
14. दिये गये शपथ पत्र के क्रम में शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण एवं लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
15. दिये गये शपथ पत्र के क्रम में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना होगा।
16. भू–स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गढ्ढे न हों तथा उसमें जल भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।